

धारा (4) (1) ख (xiii)

अपने द्वारा रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्त्ताओं की विशिष्टियाँ

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन जलकरों के अल्पकालीन बन्दोबस्ती सुरक्षित जमा राशि पर मत्स्य सहयोग समिति अथवा सीमित डाक द्वारा इनके सदस्यों को अथवा खुली डाक के माध्यम से व्यक्ति विशेष को उच्चतम डाक राशि पर की जाती है तथा दीर्घकालीन बन्दोबस्ती अधिनियम में निहित शर्त एवं दिशानिर्देश के आलोक में की जाती है । अधिनियम के धाराओं के अन्तर्गत पट्टेदारों को मत्स्य पालन एवं मत्स्य शिकारमाही का परवाना निर्गत की जाती हैं एवं राजस्व वसूली की जाती है । इसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध है ।

